कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय--आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14842/2021 योगिता गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती 2018 में याचिकार्थिया को राउप्रावि. सुथारों का गुड़ा, ब्लॉक–देसूरी, जिला–पाली आवंटित किया गया। याचिकार्थिया को रिशफल जिला आंवटन प्रक्रिया में जिला परिवर्तन नहीं करते हुए यथावत रखा गया, जबकि याचिकार्थिया का गृहजिला राजसमंद है। याचिकार्थिया के कथनानुसार वह अपने बुजुर्ग सास–ससुर, बच्चों व निवास स्थान से 80 किमी दूर सेवा दे रही है, जिसके कारण परिवार की देखभाल करने में याचिकार्थिया को काफी कष्ट हो रहे है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पाली जिले के स्थान पर राजसमंद (गृहजिले) में पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एव विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थिया का बोर्ड द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में वर्ग एवं चयन वर्ग MBCF में वरीयता क्रमाक 6713 (नवीन वरियता क्रमांक–6713) पर चयन किया गया। जिला आवंटन प्रक्रिया द्वारा याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में दी गई प्राथमिकता के अनुसार नियमानुसार ही याचिकार्थिया को पाली जिला आवंटित किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 10.06.2021 को किये गये रिशफल जिला आवंटन प्रक्रिया द्वारा याचिकार्थिया का नियमानुसार जिला परिवर्तित नहीं किया गया है। याचिकार्थिया द्वारा पदस्थापन के लिए मांग गए राजसमंद जिले में याचिकार्थिया के समान वर्ग MBCF एवं चयन वर्ग MBCF में अंतिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक 4812 है, जबकि याचिकार्थिया का वरीयता क्रमांक 6713 (नवीन वरियता क्रमाक–6713) है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकार्थिया से संबंधित वर्ग एवं चयन वर्ग MBCF में याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को राजसमंद जिला आवंटित नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान मे रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(कार्नाराम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13138/2021 दिनांकः– 24/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. याचिकार्थिया योगिता गुर्जर, शा.शि.ग्रेड–III, राउप्रावि, सुथारों का गुडा, ब्लॉक–देसूरी, जिला–पाली (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)